प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 68/2024 (अपील सूचना का अधिकार)

Meena Dewda Add.: Rajpoot Mohalla, Matak village Debari, Girwa, Udaipur

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/07/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329314022806255 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 9481983626 दिनांक 20.06.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/68/24/753-54 दिनांक 20.06.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गिर्वा द्वारा सूचना प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से संबंधित होने से प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./सूअअ/2005/प्रथमअपील 68/24/1454-55 दिनांक 26.06.2024 से लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से संबंधित होने से प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को जरिये पत्रांक 1454-55 दिनांक 26.06.2024 से लिखा गया। चूंकि सूचना प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से संबंधित है ऐसी स्थिति में अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

अपीलार्थी को चाहिए कि वह प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर दाद हासिल करे।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर